संख्याः नि0 1742/3–5 (रिसर्च टैक्नोलोजी)

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in/
फैक्सः–0135–2741607,2742641
ई–मेलः–ccfpfmua@gmail.com

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी/
वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
नैनीताल व हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक 03 मार्च, 2018।

विषय– वित्तीय वर्ष 2017–18 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य सैक्टर योजना "2406–01–004–02–00–रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेन्ट" के अन्तर्गत कोषागार मदों में बजट का आवंटन।

संदर्भ– शासनादेश सं0 492/X-2-2018-12(31)/2012 दिनांक 22 फरवरी, 2018 एवं तदक्रम में शुद्धिपत्र सं0 418/X-2-2018-12(31)/2012 दिनांक 27 फरवरी, 2018 **(छायाप्रतियां संलग्न)**।

महोदय,

सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न **अलॉटमेंट आई डी–S1802270293** दिनांक 21.02.2018 से वित्तीय वर्ष 2017–18 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य सैक्टर योजना **"2406–01–004–02–00–रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेन्ट"** के अन्तर्गत **कोषागार मदों** में अवमुक्त धनराशि **₹19,59,000/– (₹उन्नीस लाख उनसठ हजार मात्र)** का ऑनलाइन आवंटन विभाग के विभिन्न आहरण वितरण अधिकारियों को निम्न शर्तो एवं प्रविबन्धों के अधीन जारी करते हुये **प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति** संलग्न कर प्रेषित की जाती है। कृपया सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों से कोषागार मदों में प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।

1– संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2– धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 610/3(150)/XXVII(1) दिनांक 30.06.2017 में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

3– अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध है, यदि योजना से इतर कार्यो को कराया पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

4– कार्यो को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

5– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) नियमावली 2017**, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सु–संगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

6– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने उपरान्त ही कार्य किये जाये।

7– बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाये और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाये।

8– आवंटित/जारी धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण **निर्धारित प्रपत्र बी.एम.–4** में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की **पहली तारीख तक** कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

Scanned by CamScanner

संख्या: नि0 1742 (1)/3–5 (रिसर्च टैक्नोलोजी) तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2– महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4– अपर सचिव, वित्त (अनुभाग–4), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसंधान प्रबंधन एवं प्रशिक्षण, हल्द्वानी।
8– मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण, विकास एवं अनुसंधान, हल्द्वानी।
9– वन संरक्षक, अनुसंधान वृत्त, हल्द्वानी।
10–आहरण वितरण अधिकारी–वन वर्धनिक उत्तराखण्ड, नैनीताल एवं वन वर्धनिक साल, हल्द्वानी। कृपया उक्त **बिन्दु संख्या–1 से 10** में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुये प्रश्नगत योजना हेतु **मुख्य वन संरक्षक जैव विविधता संरक्षण, विकास एवं अनुसंधान, हल्द्वानी** के पत्रांक 413/3–2 दिनांक 24.05.2017 से निर्धारित कार्यालय/प्रभागवार फॉट/एक्शन प्लान के अनुसार आवंटित/जारी धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाये।
11–उप वन संरक्षक, आई0टी0जी0सी0 कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटित/जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

Scanned by CamScanner

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1742/3-5 अलोटमेंट आई डी - **H1803270140**

अनुदान संख्या - 027 आवंटन पत्र दिनांक -03-Mar-2018

DDO Name - Addl PCCF Management ,Reserch (4319) , Treasury - Haldwani (0700)

1: **लेखा शीर्षक** 2406 - वानकि तथा वन्य जीवन 01 - वानकि

004 - अनुसंधान

02 - रसिर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेन्ट(राज्य सेक्टर) 2406 01 800 12 से स्थानान्तरति)

00 - 0

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
08 - कार्यालय व्यय	7000	13000	20000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की	7000	13000	20000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपक	3000	7000	10000
13 - टेलीफोन पर व्यय	3000	7000	10000
15 - गाडियों का अनुरक्षण और पेट	7000	13000	20000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	3000	7000	10000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्ब	5000	10000	15000
	35000	**70000**	**105000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 70000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1742/3-5 | **अलोटमेंट आई डी - H1803270141**

अनुदान संख्या - 027 | **आवंटन पत्र दिनांक -03-Mar-2018**

DDO Name - Chief Conservator of Forest Eco DiversityHaldwani (4320) , Treasury - Haldwani (0700)

1: **लेखा शीर्षक** 2406 - वानकी तथा वन्य जीवन 01 - वानकी

004 - अनुसंधान

02 - रसिर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेन्ट(राज्य सेक्टर) 2406 01 800 12 से स्थानान्तरति)

00 - 0

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
08 - कारयालय वयय	17000	33000	50000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की	7000	13000	20000
12 - कारयालय फरनीचर एवं उपक	7000	13000	20000
13 - टेलीफोन पर वयय	8000	17000	25000
15 - गाडयों का अनुरकषण और पेट	43000	87000	130000
16 - वयावसायकि तथा वशिष सेवा	2000	3000	5000
18 - परकाशन	5000	10000	15000
26 - मशीनें और सजजा /उपकरण औ	26000	54000	80000
42 - अनय वयय	23000	47000	70000
46 - कमपयूटर हारडवेयर/साफटवेय	21000	44000	65000
47 - कमपयूटर अनुरकषण/ततसमब	17000	33000	50000
	176000	**354000**	**530000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 354000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1742/3-5 | अलोटमेंट आई डी - H1803270142

अनुदान संख्या - 027 | आवंटन पत्र दिनांक -03-Mar-2018

DDO Name - Conservator of Forest ReaserchHaldwani (4323) , Treasury - Haldwani (0700)

1: लेखा शीर्षक
2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन — 01 - वानिकी
004 - अनुसंधान
02 - रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेन्ट(राज्य सेक्टर) 2406 01 800 12 से स्थानान्तरित)
00 - 0

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
08 - कार्यालय व्यय	22000	48000	70000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की	7000	13000	20000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपक	7000	13000	20000
13 - टेलीफोन पर व्यय	7000	13000	20000
15 - गाडियों का अनुरक्षण और पेट	47000	93000	140000
16 - व्यावसायिक तथा विशिष सेवा	2000	3000	5000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	27000	53000	80000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेय	12000	23000	35000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्ब	17000	33000	50000
	148000	**292000**	**440000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 292000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1742/3-5 | अलोटमेंट आई डी - H1803270143

अनुदान संख्या - 027 | आवंटन पत्र दिनांक -03-Mar-2018

DDO Name - Van Vardhanik SaalHaldwani (4331) , Treasury - Haldwani (0700)

1: लेखा शीर्षक 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 01 - वानिकी

004 - अनुसंधान

02 - रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेन्ट(राज्य सेक्टर) 2406 01 800 12 से स्थानान्तरित)

00 - 0

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
08 - कार्यालय व्यय	27000	53000	80000
09 - विद्युत देय	42000	83000	125000
10 - जलकर / जल प्रभार	3000	6000	9000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की	6000	14000	20000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपक	8000	17000	25000
13 - टेलीफोन पर व्यय	5000	10000	15000
15 - गाडियों का अनुरक्षण और पेट	69000	141000	210000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	12000	23000	35000
18 - प्रकाशन	10000	20000	30000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	40000	80000	120000
42 - अन्य व्यय	57000	113000	170000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेय	17000	33000	50000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्ब	15000	30000	45000
	311000	**623000**	**934000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 623000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1742/3-5 **अलोटमेंट आई डी - H1803270139**

अनुदान संख्या - 027 **आवंटन पत्र दिनांक -03-Mar-2018**

DDO Name - Van Vardhanik UttarakhandNainital (4326) , Treasury - Nainital (3600)

1: **लेखा शीर्षक** 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 01 - वानिकी

004 - अनुसंधान

02 - रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेन्ट(राज्य सेक्टर) 2406 01 800 12 से स्थानान्तरित)

00 - 0

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
08 - कार्यालय व्यय	27000	53000	80000
09 - विद्युत देय	41000	84000	125000
10 - जलकर / जल प्रभार	11000	22000	33000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की	6000	14000	20000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपक	8000	17000	25000
13 - टेलीफोन पर व्यय	7000	13000	20000
15 - गाडियों का अनुरक्षण और पेट	67000	133000	200000
16 - व्यावसायिक तथा विशिष सेवा	11000	24000	35000
18 - प्रकाशन	10000	20000	30000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	37000	73000	110000
42 - अन्य व्यय	53000	107000	160000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेय	17000	33000	50000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्ब	13000	27000	40000
	308000	**620000**	**928000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 620000